न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 44 / 2021 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. कन्हैयालाल बाबूलाल भोलाराम नाराणी पिता बद्री माली धन्नी देवी पत्नी बद्री माली निवासी रनिंगपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना नियम 1968 बाबत् आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना नियम 1968 बाबत् आंवटन निरस्तीकरण के अर्न्तगत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रनिंगपुरा की आ.न. 231 / 105 कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता आदेशिका दिनांक 06.02.2023 से ही लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। विपक्षीगणों के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा हैं।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम रनिंगपुरा की आ.न. 231 / 105 कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा